संख्या-3/2016/1076/53-16-2(45)/2015

प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

दुग्ध आयुक्त,
दुग्धशाला विकास विभाग,
जवाहर भवन, लखनऊ।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक- 11 मार्च, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति (राज्य सेक्टर-सामान्य) अनुदान संख्या-16

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-84/दुग्ध-4/नियो0/एएमसीयू-सा0/2015-16, दिनांक-10.03.2016 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट योजनान्तर्गत (राज्य सेक्टर-सामान्य) अनुदान संख्या-16 के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 330.00 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-1132/53-15-2(45)/2015, दिनांक-20.05.2015 द्वारा प्रथम किस्त के रूप में रू0 165.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। अतः योजना की अवशेष धनराशि के सापेक्ष द्वितीय किस्त के रूप में 165.00 लाख (रू0 एक करोड़ पैसंठ लाख मात्र) की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय दुग्ध आयुक्त के निवर्तन पर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय हेतु है। धनराशि का व्यय जिन कार्यो/मदों हेतु अनुमन्य है उसी प्रयोजन में व्यय की जायेगी। किसी अन्य मद में व्यय अनुमन्य नहीं होगा।

(2) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाये।

(3) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आबंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाये तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में उल्लिखित शार्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिए सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगें। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होगें।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेगे।

(5) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा। यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपभोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बहीखाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघों के लेखे एवं बही खाते भारत

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

के नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेगें।

(6) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-16 के अधीन लेखाशीर्षक-**'2404-डेरी विकास-आयोजनागत-102-डेरी विकास परियोजनायें-03-दुग्ध विकास कार्यक्रम-0303-आटोमेटिक मिल्क कलेक्शन यूनिट-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-2/2015/बी.-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30 मार्च, 2015 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

संख्या-1076(1)/53-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
4- सम्बन्धित मण्डलीय दुग्धशाला विकास अधिकारी।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
8- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
9- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
10- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी उ0प्र0।
11- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
12- सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
13- मण्डलीय उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभार, उत्तर प्रदेश।
14- आहरण एवं वितरण अधिकारी, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0, लखनऊ।
15- वेब मास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि इसे विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करें।
16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in